कार्यालय आदेश

उ.प्र. माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 2 की उपधारा (91) में अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अंकित "उचित अधिकारी" (Proper Officer) को निम्न प्रकार प्ररिभाषित किया गया है :–

"इस अधिनियम के अधीन पालन किये जाने वाले किसी कृत्य के सम्बन्ध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा यह कृत्य सौंपा गया है।

उ.प्र. माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश को निम्न अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

"आयुक्त के पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी, विशेष आयुक्त तथा किसी अपर आयुक्त को समनुदेशित समस्त कृत्यों या किसी कृत्य के सम्बन्ध में उनके पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा जहां राज्य सरकार निर्देश दे राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता होगी और अन्य समस्त अधिकारियों के पास यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें"

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 3 का परन्तुक निम्नवत् हैं– "परन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जायेगा।"

1– उ.प्र. माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की विभिन्न धाराओं में उल्लिखित कृत्य के सम्बन्ध में उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 2(91) तथा धारा 4(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राज्य कर खण्डों के अधिक्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को इस परिपत्र के अनुलग्नक "क" के अनुसार राज्य कर के मण्डलों की भौगोलिक सीमा इस परिपत्र के अनुलग्नक "ख" के अनुसार, राज्य कर के सम्भाग एवं जोन की भौगोलिक सीमा इस परिपत्र के अनुलग्नक "ग" के अनुसार अवधारित करता हूँ।

2– उ.प्र. माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 2(91) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश, उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के स्तम्भ में नीचे अंकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अधिनियम की धाराओं के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित करता हूँ :–

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	उ.प्र. माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ.प्र.अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
1	1. खण्ड में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. खण्ड में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त	10, 35, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67(11), 68,

	3. खण्ड में तैनात राज्य कर अधिकारी	70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 123, 126, 127, 129, 130, 142
2	1. खण्ड में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. खण्ड में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त	25, 27, 28, 29, 30, 60
3	जोन में तैनात संयुक्त आयुक्त कारपोरेट सर्किल	28, 29, 30, 60, 35, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67(11), 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 123, 126, 127, 129, 130, 142
4	1. वि.अनु.शा. इकाई में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. वि.अनु.शा. इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. वि.अनु.शा. इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	68, 70, 126, 127, 129, 130
5	1. जोन में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (टैक्स आडिट) 2. जोन में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त (टैक्स आडिट) 3. जोन में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त (टैक्स आडिट)	65, 66
6	1. सम्भाग में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) 2. सम्भाग में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (वि.अनु.शा.)	67, 68, 70, 71, 72
7	1. सचलदल में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. सचलदल में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचलदल में तैनात राज्य कर अधिकारी	67(11), 68, 70, 126, 127, 129, 130

स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारी उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित धाराओं के सम्बन्ध में उचित अधिकारी होंगे एवं उन्हें पूरे प्रदेश की अधिकारिता निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त होंगी–

1. खण्ड में तैनात उप आयुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे तथा सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) द्वारा अधिकृत किये जाने पर सम्भाग के भौगोलिक क्षेत्र एवं जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे। आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

2. सचलदल इकाई में तैनात उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी अपने तैनाती के जनपद में कार्यवाही करेंगे तथा सम्भाग में तैनात संयुक्त आयुक्त (वि.अनु.शा.) द्वारा अधिकृत किये जाने पर सम्भाग के अधिक्षेत्र में एवं जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.) अथवा अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे। आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

3. वि.अनु.शा. इकाई में तैनात उप आयुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी अपनी तैनाती के सम्भाग में कार्यवाही करेंगे तथा जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.) अथवा अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे। आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

4. सम्भाग में तैनात संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, संयुक्त आयुक्त (वि.अनु.शा.) राज्य कर अपने सम्भाग के क्षेत्र में कार्यवाही कर सकेंगे। जोन में तैनात अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.), राज्य कर एवं अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

5. संयुक्त आयुक्त कारपोरेट सर्किल, आयुक्त राज्य कर द्वारा जोन के विनिर्दिष्ट व्यापारियों के सम्बन्ध में, कार्यवाही करेंगे।

6. जोन में तैनात संयुक्त आयुक्त (टैक्स आडिट), राज्य कर, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.), राज्य कर एवं अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, अपने तैनाती के जोन में कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

उक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त, राज्य कर/वाणिज्य कर उ.प्र.।

(8) सामान्य पोर्टल (Common Portal) : जी.एस.टी. अधिनियम में यह शब्द सबसे अधिक उपयोगी एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जितने भी कार्य किये जाते हैं, वे सभी इसी प्लेटफार्म से सम्पादित होते हैं। इसी प्रकार विभाग द्वारा भी किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में जितने कार्य किये जाते

पत्र संख्या- जी0एस0टी0/2017-18/ 07 /वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 03 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नम्बर-118 राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 की विभिन्न धाराओं में उल्लिखित कृत्य के संबंध में उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्-2017) की धारा-2(91) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के लिए स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अधिनियम की धाराओं के प्रयोग हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित करती हूँ।

क्र0सं0	अधिकारी का पदनाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
1	वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त।	67, 68, 70, 71, 72
2	1. वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर। 2. वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर। 3. वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में तैनात राज्य कर के वाणिज्य कर अधिकारी।	68, 70, 126, 127, 129, 130

स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारी उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित धाराओं के संबंध में उचित अधिकारी (Proper Officer) होंगे तथा उन्हें पूरे प्रदेश की अधिकारिता इस प्रतिबंध के अधीन प्राप्त होंगी कि वह कमिश्नर वाणिज्य कर अथवा मुख्यालय पर तैनात एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत किये जाने पर ही उनके द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जांच कार्य हेतु अधिकृत होंगे।

3/4/2018
(कामिनी चौहान रतन)
आयुक्त, वाणिज्य कर उ0प्र0

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन।

2– विशेष सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4– अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।

5– अपर आयुक्त, ग्रेड–1 / ग्रेड–2, उच्च न्यायालय कार्य, राज्य कर इलाहाबाद / लखनऊ।

6– मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।

7– संयुक्त आयुक्त(स्थापना) राज्य कर।

8– समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (टैक्स ऑडिट) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त उप आयुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

10– संयुक्त आयुक्त, (उच्चतम न्यायालय कार्य) / (उच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, गाजियाबाद / लखनऊ / इलाहाबाद।

11– मुख्यालय के समस्त अनुभाग / अनुभाग प्रभारी।

12–मैनुअल अनुभाग को 5 प्रतियाँ।

3/4/18

(विवेक कुमार)
अपर आयुक्त(जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्या– जी0एस0टी0/2017–18/ 11 /वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या–278/जी0एस0टी0/2017–18/फाइल नम्बर–118 राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा खण्ड में, सचल दल इकाई में एवं वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी तथा संयुक्त आयुक्त (कारपोरेट सर्किल), संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) एवं संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) को धारा–68 के प्राविधानों हेतु प्रॉपर ऑफिसर नामित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यालय के आदेश संख्या– 07 दिनांक 03.04.2018 द्वारा केन्द्रीय सचल दल, वाणिज्य कर मुख्यालय एवं मुख्यालय के अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को धारा–68 के प्राविधानों हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया है। उ0प्र0 माल एवं सेवाकर नियमावली–2017 के नियम–138B(1) के प्राविधान के अधीन, धारा–68 के प्रयोजन हेतु उपरोक्तानुसार नामित उचित अधिकारी (Proper Officer) को उक्त कार्यालय आदेशों में विहित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा सभी inter-state एवं intra-state मालों के परिवहन हेतु जारी ई–वे बिल को सत्यापित करने के लिए संबंधित वाहन को रोकने हेतु अधिकृत किया जाता है।

5/4
(कामिनी चौहान रतन)
आयुक्त, वाणिज्य कर उ0प्र0

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि–

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

5/4/18
(विवेक कुमार)
अपर आयुक्त(जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः जी.एस.टी./2020-21/फाइल सं0-118/ 169 /राज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

विषयः- कार्यालय आदेश संख्या- 278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 का संशोधन।

वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या- 278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 से वि0अनु0शा0 इकाईयों में तैनात उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी को धारा-68, 70, 126, 127, 129 तथा 130 के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) तथा सचल दल इकाईयों में तैनात उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर/वाणिज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश एस.जी.एस.टी. की धारा-67(11), 68, 70, 126, 127, 129 तथा 130 के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया है।

2. पुनः कार्यालय आदेश संख्या- जी.एस.टी./2019-20/172/वाणिज्य कर दिनांक 27 मई, 2019 से मूल आदेश संख्या- 278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के पृष्ठ संख्या-2 पर अंकित तालिका के क्रमांक-4 एवं 7 में संशोधन करते हुए वि0अनु0शा0 इकाईयों में तैनात अधिकारियों को उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-54 एवं धारा-67(11) तथा सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारियों को उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-54 के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किया गया।

3. (i) वि0अनु0शा0 इकाईयों तथा सचल दल इकाईयों अधिकारियों को किसी प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान पंजीयन योग्य (Liable to be registered) अपंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) वि0अनु0शा0 तथा सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारियों द्वारा धारा-129 तथा धारा-130 के अन्तर्गत पारित आदेशों से सृजित मांग की वसूली धारा-79 के प्राविधानों के तहत किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय से जारी मूल आदेश संख्या- 278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के पृष्ठ संख्या-2 पर अंकित तालिका की प्रविष्टि क्रमांक-4 एवं 7 को निम्नवत् संशोधित करते हुए क्रमांक-7 के उपरान्त क्रमांक-7A पर नई प्रविष्टि निम्नवत् शामिल की जाती है-

क्र0सं0	**अधिकारी का पदनाम**	**उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा**
1	**2**	**3**
4.	1. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. वि0अनु0शा0 इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	25(8), 54, 68, 70, 79, 126, 127, 129, 130

7.	1. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	25(8), 54, 68, 70, 79, 126, 127, 129, 130
7A	धारा–67(1) एवं 67(11) के अन्तर्गत नामित उचित अधिकारी (Proper Officer) द्वारा अधिकृत अधिकारी	67(11)

उक्त तालिका के कॉलम–2 में अंकित अधिकारी कॉलम–3 में उनके सम्मुख अंकित उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धाराओं के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) होंगे।

मूल आदेश संख्या– 278/जी0एस0टी0/2017–18/ फाइल नं0–118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 तथा इस मूल आदेश के संशोधन के सम्बन्ध में जारी अनुवर्ती आदेशों के शेष अंश यथावत बने रहेंगे।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त ग्रेड–1/ग्रेड–2 उच्च न्यायालय कार्य0 वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(टैक्स ऑडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त आयुक्त (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/(उच्च न्यायालय कार्य0), वाणिज्य कर, गाजियाबाद/लखनऊ/इलाहाबाद।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी.एस.टी.),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-जी0एस0टी0/2022-23/फाइल सं0-118/ 546 /राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 ।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक- 30 दिसम्बर, 2022

कार्यालय आदेश

विषय:-कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 का संशोधन।

पूर्व में वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 के प्रस्तर 2 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के माध्यम से टैक्स ऑडिट इकाईयों में कार्यरत संयुक्त आयुक्त, उप-आयुक्त एवं सहायक आयुक्त को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 65 एवं 66 के प्रयोजनों हेतु Proper Officer नामित किया गया है।

2. कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 को कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/07/राज्य कर, दिनांक- 03अप्रैल, 2018, कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2019-20/172/राज्य कर, दिनांक- 27 मई, 2019 तथा कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2020-21/फाइल सं0-118/169/राज्य कर, दिनांक- 04 अगस्त, 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 70 में Proper Officer को जॉच के समय साक्ष्य हेतु, कोई अभिलेख अथवा कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति को Summon जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है। टैक्स ऑडिट इकाई में कार्यरत अधिकारियों को जॉच के समय कतिपय अभिलेखों या किसी अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने अथवा गवाही हेतु उपस्थित होने के लिए संबंधित व्यापारी अथवा किसी तृतीय व्यक्ति (Third Party) को बुलाये जाने के लिए Summon जारी करने की आवश्यकता पड़ती है।

4. उपरोक्त कार्यगत आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 के प्रस्तर 2 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के समक्ष स्तम्भ 3 में अंकित प्रविष्टियां निम्नवत संशोधित की जाती हैं-

क्रसं0	अधिकारी का नाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
5	1. जोन में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) 2. जोन में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त (टैक्स ऑडिट) 3. जोन में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त (टैक्स ऑडिट)	65, 66, 70

4.1. उपरोक्त संशोधन मूल आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 की प्रभावी तिथि अर्थात 1, जुलाई 2017 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

23/12/22

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य0 राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/ (वि0अनु0शा0)/ (टैक्स ऑडिट), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त आयुक्त (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/ (उच्च न्यायालय कार्य0), राज्य कर, गाजियाबाद/लख्नऊ/प्रयागराज।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी, राज्य कर, मुख्यालय।

(गीता सिंह)
अपर आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः:विधि/2018-19/ 430

/वाणिज्य कर
कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांकः 19 नवम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर/
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर कार्यालय आदेश पत्र संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/file no.118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के बिन्दु क्रमांक-2 के अनुसार जोन में तैनात राज्य कर के उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (प्रॉपर ऑफिसर) नामित किया गया है। पूर्व में मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था-1-कार्य एवं दायित्व/624/वाणिज्य कर दिनांक 27.05.2008 द्वारा अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार अधिकृत किया गया था:-

1. डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त)-50 लाख से अधिक करयोग्य विक्रयधन वाले निर्माता इकाई तथा 1 करोड़ से अधिक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग ईकाइयॉं।
2. असिस्टेंट कमिश्नर (सहायक आयुक्त)- 15 लाख से 50 लाख तक करयोग्य विक्रयधन वाली निर्माता ईकाइयॉं ता 25 लाख से 1 करोड़ तक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग ईकाइयॉं।
3. वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी)- 15 लाख तक करयोग्य विक्रयधन निर्माता ईकाइयॉं तथा 25 लाख तक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग ईकाइयॉं।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तार्गत उपर्युक्त आवर्त सीमा निम्न प्रकार संशोधित की जाती है:-

1. उपायुक्त- 2 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त- 25 लाख से अधिक व 2 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3 राज्य कर अधिकारी- 25 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

खण्ड में तैनात उपायुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यापारियों के संबंध में उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

भवदीया,

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः जी०एस०टी०/2022–23/ 83

राज्य कर

कार्यालय–कमिश्नर, राज्य कर, उ०प्र०
(जी०एस०टी० अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 12 मई, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य०) राज्य कर/
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में मुख्यालय के पत्र संख्या–स्था–1–कार्य एवं दायित्व/624/वाणिज्य कर दिनांक 27.06.2008 द्वारा अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया था, जिसे पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या–विधि/2018–19/430/वाणिज्य कर दिनांक 19 नवम्बर, 2018 द्वारा संशोधित करते हुए अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार अधिकृत किया गया था–

1. उपायुक्त–2 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त–25 लाख से अधिक व 2 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)
3. राज्य कर अधिकारी–25 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)

जी०एस०टी० व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीयन के सम्बन्ध में किये गये विधिक संशोधनों तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उपर्युक्त आवर्त सीमा निम्न प्रकार संशोधित की जाती है–

(क) निर्माता व्यापारी (Manufacturer) के सम्बन्ध में–

1. उपायुक्त–1 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त–50 लाख से अधिक व 1 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी–50 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

(ख) व्यापारी (Trader) के सम्बन्ध में–

1. उपायुक्त–2.50 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त–75 लाख से अधिक व 2.50 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी–75 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।